



प्रेषक,

दयाराम

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2

लखनऊ::दिनांक: 29 अप्रैल, 2026

विषय:-मेसर्स ग्लोबस स्प्रिट्स लि., ग्राम-अब्बासपुर, औरंगाबाद तहसील मितौली, लखीमपुर खीरी, आसवनी इकाई अधिष्ठापित क्षमता 100 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता का ग्रेन प्लांट, पेय क्षमता 245 लाख लीटर से कम कर 175 लाख लीटर एवं औद्योगिक क्षमता 50 प्रतिशत (175 लाख लीटर) तथा 80 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता का शीरा प्लांट की पेय क्षमता को 140 लाख लीटर तथा आद्योगिक क्षमता 140 लाख लीटर निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:जी-03/दो-प्रा.डी.-270/मे. ग्लोबस स्प्रिट्स लि., दिनांक 20-04-2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र दिनांक 20-04-2026 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत मेसर्स ग्लोबस स्प्रिट्स लि., ग्राम-अब्बासपुर, औरंगाबाद, तहसील मितौली, लखीमपुर खीरी, डुअल मोड (अनाज/शीरा) आधारित आसवनी इकाई जिसमें ग्रेन से उत्पादन करने की स्थिति में 100 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् 350 लाख ली. वार्षिक क्षमता के अन्तर्गत पेय क्षमता 245 लाख ली. (70 प्रतिशत) को कम कर 175 लाख ली. (50 प्रतिशत) एवं औद्योगिक क्षमता 105 लाख ली. में वृद्धि कर 175 लाख ली. (50 प्रतिशत) तथा सी-हैवी शीरा से उत्पादन की स्थिति में 80 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् 280 लाख ली. वार्षिक क्षमता के अन्तर्गत पेय क्षमता 140 लाख ली. (50 प्रतिशत) एवं औद्योगिक क्षमता 140 लाख ली. (50 प्रतिशत) निर्धारित किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन की जाती है:-

(1) आसवक द्वारा उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना) (तेरहवां संशोधन) नियमावली, 2019 के नियम-2(5)(झ) एवं उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना) (पन्द्रहवां संशोधन) नियमावली, 2020 का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) आसवनी द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) द्वारा निर्धारित मानकों एवं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) आसवनी द्वारा FSSAI द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पेय मदिरा का उत्पादन किया जायेगा।

(4) आसवनी द्वारा अपनी औद्योगिक क्षमता के अन्तर्गत ही अन्य आसवनियों को ई.एन.ए./आर.एस./एस.डी.एस./डी.एस. की निकासी दी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(5) ग्रेन से अल्कोहल उत्पादन किये जाने हेतु शासनादेश संख्या:33/2021-810ई-2/तेरह-2021-107/2013 दिनांक 26-03-2021 में लगायी गयी शर्तों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

(6) इकाई द्वारा स्थापित किये जाने वाले संचय टैंकों एवं निकासी टैंकों पर राडार बेस्ड लेबल ट्रान्समीटर तथा संचय टैंकों एवं निकासी टैंकों के मध्य एवं निकासी टैंकों के पश्चात मास फ्लोमीटर लगाये जायेंगे।

(7) इकाई का आबकारी विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराते हुये पोर्टल की सभी औपचारिकतायें पूर्ण की जायेगी।

(8) इकाई के मुख्य द्वार पर आने तथा जाने वाले वाहनों की नम्बर प्लेट को कैप्चर करने के लिये दो ANPR कैमरे स्थापित किये जायेंगे तथा वेमेन्ट ब्रिज पर भी दो ANPR कैमरे स्थापित किये जायेंगे। आसवनी में अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर भी कैमरे स्थापित किये जायेंगे। कैमरों तथा राडार का इन्टीग्रेशन आबकारी विभाग के पोर्टल से कराया जायेगा।

(9) इकाई द्वारा ग्रेन साइलों में अनाज संचित करने के लिये बकेट एलीवेटर पर सामान्य रूप से दृश्य स्थान पर ग्लास प्लेट स्थापित की जायेगी। इसी प्रकार ग्रेन साइलो से प्लान्ट में अनाज ले जाने वाली कन्वेयर पर भी ग्लास प्लेट स्थापित की जायेगी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि किस प्रकार के अनाज का भण्डारण/अंतरण किया जा रहा है।

(10) इकाई द्वारा अल्कोहल उत्पादन किये जाने हेतु प्रयुक्त फीड एवं उत्पादित अल्कोहल के अभिलेखों के अनुरक्षण संबंधी शासनादेश संख्या:1069ई-2/तेरह-2024-1404728, दिनांक 09.12.2024 का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

(11) प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही करने से पूर्व आबकारी आयुक्त, उ.प्र. द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इकाई पर अद्यतन कोई राजस्व देयता/बकाया नहीं है।

(12) आबकारी आयुक्त द्वारा इस संदर्भ में लागू अन्य समस्त सुसंगत नियमों /नियमावलियों व शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दयाराम)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।